भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

44AA 063851

कि० वसीका बैयनामा

वसीका नं० - 810

तिथि - 24/6/2005 से सत्यापित कोटा प्रति साथ संलग्न है।

Sub Registrar
Farrukh Nagar
7/6/22

STAMP VENDOR
AJAY KUMAR

06 JUN 2022

Tehsil Farrukh Nagar
Signature

810
24-6-2005

किसम वसीका	मालियती	स्टाम्प	शब्द
बैयनामा आराजी	4,37,500/–	26,250/–	450

स्टाम्प नं0 4716 दिनांक 23.6.2005
स्टाम्प जारीकर्ता ट्रैजरी गुड़गांवा
(15000x1)+(10000x1)+(1000x1)+(100x2)+(50x1)

मनके श्रीमति सावित्री देवी धर्मपत्नी श्री महेन्द्र सिंह यादव निवासी मकान नं0 ए–14/6, डी.एल.एफ. सिटी, फेज–1, गुड़गांवा तहसील व जिला गुड़गांवा की हूँ। जो कि मैं अराजी जरई खेवट नं0 110 खाता नं0 141 मिन मुस्ततील नं0 33 किला नं0 3/2(1–7), रकबा 1 कनाल 7 मरले का 5/84 भाग बकदर 0 कनाल 1½ मरले व खेवट नं0 115 खाता नं0 148 मुस्ततील नं0 33 किला नं0 2/1(2–15), 2/2(2–17) रकबा तादादी 5 कनाल 12 मरले का 13/42 भाग बकदर 1 कनाल 14½ मरले, कुल रकबा तादादी 1 कनाल 16 मरले वाका रकबा मौजा फखरपुर सब–तहसील फरूखनगर व,

पेज नं0 2

Savitri Devi

Attested
Sub Registrar
Farrukh Nagar
7/6/22

[illegible]

आज तिथि [illegible] बरोज बामुताबिक [illegible] साल
सम्वत [illegible] समय [illegible] बजे दिन के श्री [illegible]
पुत्र [illegible] निवासी [illegible] पेशा
वसिका [illegible] हमारे सम्मुख कार्यालय
उप रजिस्ट्रार में रोबरू तकमील रजिस्ट्री पेश किया है।

[illegible]

उप रजिस्ट्रार
[illegible]

[illegible]

[illegible]

मजमून वासिका हजा श्री [illegible] को बहापशी
[illegible] पढ़कर सुनाया व समझाया गया
जिन्होंने सुनकर व समझकर [illegible] पत्रिका
को स्वीकार किया हमारे [illegible]
उपरोक्त को मुआ[illegible] [illegible]
कह करना [illegible] वसूली
मुजराई [illegible] [illegible] किया।
फरीकेन को [illegible]
श्री [illegible]
साक्षीगण पहचान करते हैं। साक्षी प्रथम से खुद स्वयं
परिचित हूं जो साक्षी द्वितिय को पहचान करता हूं।

[illegible]

उप रजिस्ट्रार
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

जिला गुड़गांवा की बरूये रजिस्टरी बयनामा वसीका नं0 2698 दिनांक 29.3.2005 सबै–रजिस्ट्रार, फरूखनगर व बरूये इन्तकाल नं0 928 तारीख फैसला 21.4.2005 मालिक व काबिज हूँ। रकबा तादादी 1 कनाल 16 मरले में से 0 कनाल 14 मरले रकबा बय कर रही हूँ। यह आराजी एक्वायरशुदा नहीं है, ना ही इस आराजी की बाबत एक्वायर का नोटिस मिला है। यह आराजी सरपलस रकबे का भाग नही है। इस आराजी का बेचने का सौदा किसी दीगर व्यक्ति से नही किया हुआ है। ना ही यह आराजी आज तक कहीं रहन, बैय, हिबे, पट्टे पर है। ना ही इस आराजी पर कोई सरकारी व गैर सरकारी व किसी बैंक आदि से कोई लोन लिया हुआ है। ना ही इस आराजी की बाबत कोई मुकदमा किसी अदालत में विचाराधीन है। ना ही इस आराजी की बाबत कोई कोर्ट डिग्री आदि की हुई है। यानि यह आराजी आज तक हर प्रकार के बार से पाक व साफ है। मुझे तरक्की व खरीद दीगर जायदाद आदि के लिए रूपये की जरूरत है। इसलिए आज अपने ठीक होश हवाश में अपनी मर्जी और खुशी से व बगैर किसी दबाब के उपरोक्त आराजी 1 कनाल 16 मरले में से 0 कनाल 14 मरले रकबा मजकूरा बाला, मये जुमला हक हकूक जो इसके बारे में मुझे हासिल हैं मये सर्व अधिकार सहित को बिलएवज मुबलिग 4,37,500/– रूपये (चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ रूपये केवल) जिसके आधे मुबलिग 2,18,750/– रूपये होते हैं बदसत **M/s Enkei Castalloy Limited, 1426, Shikrapur, Tal. Shirur, Dist. Pune** को बैय व फिरोख्त कर दी। कुल जरे समन मुबलिग 4,37,500/– रूपये (चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ रूपये केवल) में से मुबलिग 32,500/– रूपये बतौर ब्याना व जुजवी कीमत पहले वसूल पा चुकी हूँ व बाकि मुबलिग 4,05,000/– रूपये बजरिये पे–आर्डर नं0 287137 दिनांक 23.6.2005 जारीकर्ता आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटिड, नई दिल्ली, अजां खरीदार से रोबरू श्रीमान सब–रजिस्ट्रार साहब, गुड़गांवा वसूल पाऊंगी। अब उपरोक्त आराजी बयशुदा की बाबत कोई रूपया खरीदार से लेना बाकी नहीं रहा है। कब्जा मौके पर खरीदार को दे दिया है और खरीदार को अपनी तरह मालिक व काबिज बना दिया है। जिस तरह चाहे काम में लावे उजर न होगा। दाखिल खारिज कागजात माल में दर्ज व मंजूर करा दूंगी

पेज नं0 3

7/6/22

प्रमाणित किया जाता है कि करारदार
व साक्षीगण के निशान अंगुठा/हस्ताक्षर
हमारे सामने कराये गये ।

सब रजिस्ट्रार
([illegible])

अगर मैं ना कराऊं तो खरीदार को अधिकार होगा कि वह बरूये बैयनामा दस्तावेज हजा के खुद करा लेवे उजर न होगा। अगर टाईटल के किसी किसम के कानूनी नुक्स की वजह से उपरोक्त आराजी बयशुदा खरीदार के कब्जे से निकल गयी तो मैं और मेरे वारसान कुल जरे बैय व खर्चा हर्जा अदा करने के जिम्मेवार होंगे अगर उपरोक्त आराजी पर आज तक का किसी प्रकार का कोई भार साबित हुआ तो उसकी अदायगी की जिम्मेवारी बाया की होगी। खर्चा स्टाम्प वगैरा सब खरीदार ने लगाया है। मैं और मेरे वारसान इस तहरीर के पाबन्द रहेंगे। अतः यह बैयनामा तहरीर कर दिया तांकि सनद रहे और वख्त जरूरत पर काम आवे। तारीख तहरीरः

23-6-05

Drafted by:
Ram Niwas Vashishta
Advocate
GURGAON

Savitri Devi

श्रीमति सावित्री देवी बाया।

खरीदार।

गवाह :

गवाह :

प्रलेख सं० 510 प्रति. बही नं० 1

जिल्द नं० 182 पृष्ठ नं० 89-90 पर

चस्पा किया गया बही नं० 1

जिल्द नं० 15 पृष्ठ नं० 60 पर

दिनांक 25 को दर्ज रजिस्ट्रार किया गया

उप रजिस्ट्रार

([illegible])